न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—333/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/333)

1. श्री धनराज पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ भूरा, जाति माली
2. जगदीश पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ भूरा, जाति माली
3. सांवर लाल पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ भूरा, जाति माली
   समस्त निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. मनफूल पुत्री श्री हरदेव जाति माली
2. श्रीमती लादी पत्नी श्री लादू पुत्रवधु श्री हरदेव जाति माली
3. इंद्रचंद पुत्र लादू पौत्र श्री हरदेव जाति माली
4. कैलाश पुत्र लादू पौत्र श्री हरदेव जाति माली
5. महेन्द्र पुत्र लादू पौत्र श्री हरदेव जाति माली
6. सांवरलाल पुत्र लादू पौत्र श्री हरदेव जाति माली **(फौत)**
   6/1 श्रीमती सुमित्रा पत्नी सांवरलाल माली
   6/2 सोनिया पुत्री सांवरलाल माली (नाबालिग वली माता श्रीमती
   6/3 रविन्द्र पुत्र सांवरलाल माली सुमित्रा पत्नि सांवरलाल माली)
7. राजू पुत्र लादू पौत्र श्री हरदेव जाति माली
8. पुखराज पुत्र लादू पौत्र श्री हरदेव जाति माली
9. जाना पुत्री लादू पौत्री श्री हरदेव जाति माली
   समस्त निवासीगण ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।
11. श्रीमती गोमा पत्नी कालू जाति माली, निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला, अजमेर विरूद्ध आदेश दिनांक 24.05.2022 राजस्व वाद संख्या 17/2022.

उपस्थितः—

1. श्री नौरतमल जैन, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी, सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 7 से 9
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 6/1 से 6/3, 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 06.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज हरदेव पुत्र काना जाति माली को दिनांक 25.6.1964 को आवंटन नियम की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में संवत 2023 से 26 में खसरा गिरदावरी की कॉलम संख्या 41 में उक्त आवंटनशुदा भूमि का नोट अंकित कर दिया गया किंतु दौराने बंदोबस्त वर्किंग में खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 5058 में प्रार्थीगण के अतिरिक्त मोडू पुत्र तेजा व भूरा पुत्र तेजा का भी उक्त आवंटनशुदा भूमि में आधा हिस्से का नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश सुनाया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 6/1 से 6/3 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि से संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा जारी की गई निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां कि जिन्हें अपील पत्रावली के रेकार्ड पर लिए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। 1. प्रमाणित प्रति वाद संख्या 128/2023 निर्णय दिनांक 29.5.2024। 2. प्रमाणित प्रति वाद संख्या 128/2023 डिक्री दिनांक 29.5.2024। आवेदन पत्र में वर्णित दस्तावेज जो कि अपीलाधीन भूमि से ही संबंधित है तथा आवेदनकर्ता को दिनांक 31.5.2024 को ही प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई है जो कि सुसंगत दस्तावेज है संदेह से परे है उक्त अपील के न्यायिक निर्णय हेतु आवश्यक है, अपील पत्रावली के रेकार्ड पर लिए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2022 के सन्दर्भ में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थीगण को कोई सूचना ही नहीं दी गई, अपीलार्थीगण जो कि कृषक व्यक्ति है, खेती कार्य एवं अन्य घरेलू कार्य मे व्यस्त होने की वजह से एवं अपीलार्थीगण के पिता श्री भूरा उर्फ भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 31–07–2022 को हो चुका इस कारण भी अपीलार्थीगण उनके अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकें तथा अपीलार्थीगण उनके अधिवक्ता से दिनांक 28–10–2022 को ही सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के सन्दर्भ में तारीख पेशी एवं कार्यवाही की जानकारी की गई कि इस पर अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 28–10–2022 को ही यह बताया कि प्रकरण धारा 212 में फैसला दिनांक 24–05–2022 को ही हो चुका है कि जिसकी प्रमाणित प्रति भी अपीलार्थीगण को दिनांक 28–10–2022 को ही दी गई, कि इससे पूर्व अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी ही नहीं थी, इस प्रकार अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई, जानकारी के अनुसार बिना किसी विलंब के एवं दस्तावेज एकत्रित कर तथा अधिवक्ता से इस संदर्भ में परामर्श कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

9. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5- *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 584 रकबा 15–06–00 की भूमि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद में स्थित है वर्किंग खसरा नम्बर 584 रकबा 15–2–00 की भूमि एवं वर्किंग खसरा नम्बर 584 रकबा 00–04–00 की भूमि छोटी पट्टी नियमन इस प्रकार अवंटन अधिकारी के द्वारा वर्ष 1984 में आवंटन एवं छोटी पट्टी नियमन आदेश के अनुसार श्रीमती झमकू बेवा हरदेव लादू वल्द हरदेव 1/2 हिस्सा मोडू भूरा पुत्रगण तेजा 1/2 हिस्सा जाति माली को आवंटित की गई कि जिसमें 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार श्री मोडू भूरा उर्फ भंवरलाल पुत्रगण तेजा की खातेदारी की भूमि है आवंटन आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 765 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिए गए तथा नामांतरकरण संख्या 493 रकबा 00–04–00 छोटी पट्टी खातेदारी अधिकार दिए गए इस प्रकार वर्किंग खसरा नम्बर 584 का कुल क्षेत्रफल 15–6–00 की भूमि जो कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद में स्थित है कि जिसमें 1/2 हिस्सा की सहहिस्सेदार खातेदार श्रीमती झमकू बेवा हरदेव एवं लाडू पुत्र हरदेव तथा 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार मोडू भूरा पिसरान तेजा जाति माली है। श्री मोडू पुत्र तेजा जाति माली के द्वारा अपीलाधीन भूमि में से उसके 1/4 हिस्से को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 25–02–2013 कि जिसका पंजीयन दिनांक 25.02.2013 के अनुसार श्रीमती राधा पत्नि छीतर एवं श्रीमती गोमा पत्नि कालू जाति माली को बेचान कर दी गई इस प्रकार अपीलाधीन भूमि कि जिसमें 1/4 हिस्सा की सहहिस्सेदार खातेदार श्रीमती राधा पत्नि छीतर एवं श्रीमती गोमा पत्नि कालू है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र एवं प्रकरण संख्या 17/2022 कि जिसमें श्रीमती राधा पत्नि छीतर को पक्षकार ही नहीं बनाया गया,

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तथा श्री भूरा उर्फ भंवरलाल पुत्र तेजा कि जिसका भी विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार है तथा श्री भूरा उर्फ भंवरलाल के द्वारा उनके 1/4 हिस्से की भूमि को अपीलार्थीगण के पक्ष में दान पत्र दिनांक 9.7.2020 कि जिसका पंजीयन दिनांक 9.7.2020 के अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में पंजीबद्ध दान पत्र के अनुसार अपीलाधीन भूमि कि जिसमें 1/4 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार अपीलार्थीगण है एवं भौतिक एवं विधिक रूप से काबिज है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या नया 1806 पुराना 1914 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 886 रकबा 0.5100 किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 887 रकबा 1.9700 किस्म बारानी 2 की भूमि के वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खातेदार अपीलार्थी संख्या 01 धनराज का 1/18 हिस्सा अपीलार्थी संख्या 02 जगदीश का 1/18 हिस्सा तथा अपीलार्थी संख्या 03 सांवर लाल पुत्र भंवरलाल का 1/18 हिस्सा दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि जो कि संयुक्त सहहिस्सेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन भूमि के हर इंच–इंच की भूमि पर वर्तमान जमाबंदी पर दर्ज समस्त हिस्सेदारों का संयुक्त कब्जा चला आया है, विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार संयुक्त सहहिस्सेदार, संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित ही नहीं की जा सकती है, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि कि जिस पर अपीलार्थीगण के पिता भूरा उर्फ भंवरलाल कि जिनका आवंटन से पूर्व से ही निरंतर कब्जा काश्त कि जिसका उल्लेख खसरा परिवर्तनशील संवत 2028 से प्रमाणित है इसीप्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2027 से 2030 के अनुसार भी कब्जा काश्त अपीलार्थीगण के पिता भूरा उर्फ भंवरलाल का प्रमाणित है तथा अपील के उपरोक्त पैरा में उल्लेखितानुसार श्री भंवरलाल उर्फ भूरा पुत्र तेजा के द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि में से 1/4 हिस्सा का दान पत्र निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया के अनुसार दान पत्र के समय से आज दिवस तक अपीलार्थीगण का भी विवादित भूमि से संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आया है, अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा वर्तमान जमाबंदी के इंद्राज को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया विधि के प्रतिकूल है कारण कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार संयुक्त सहहिस्सेदारी संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि के संदर्भ में धारा 212 के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित ही नहीं की जा सकती है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश जो पारित किया गया है निरस्त किए जाने योग्य है। वर्तमान जमाबंदी के इंद्राज के अनुसार सहहिस्सेदार श्रीमती राधा पत्नी छीतर का 1/12 हिस्सा दर्ज है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रीमती राधा पत्नी छीतर जो कि आवश्यक पक्षकार है कि जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया, ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के अनुसरण में मूल वाद पत्र ही निरस्त किए जाने योग्य परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त सभी बिंदुओं को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2019(2)आरआरटी पेज 777, आरबीजे(26)2019, आरबीजे(5)1998.

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज हरदेव पुत्र काना जाति माली को दिनांक 25.6.1964 को आवंटन नियम की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में संवत 2023 से 26 में खसरा गिरदावरी की कॉलम संख्या 41 में उक्त आवंटनशुदा भूमि का नोट अंकित कर दिया गया किंतु दौराने बंदोबस्त वर्किंग में खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 5058 में प्रार्थीगण के अतिरिक्त मोडू पुत्र तेजा व भूरा पुत्र तेजा का भी उक्त आवंटनशुदा भूमि में आधा हिस्से का नाम दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत आदेश सुनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.05.2022 को स्वीकार करते हुए निर्णय में कथन किए कि ***" ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806/1914 खसरा नम्बर 886, 887 रकबा 0.51, 1.97 है0 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।"***

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> :– वादग्रस्त आराजीयात हाल जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम उनके राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन दस्तावेज से स्पष्ट है कि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम के तहत दिनांक 25.6.1964 को हरदेव पुत्र काना माली निवासी रामसर को आवंटित की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

थी। जिसके खसरा नम्बर 471 रकबा 15 बीघा है। ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 68–12–10 में से 15–0–0 भूमि रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण के पूर्वज हरदेव पुत्र काना को आवंटित नियमन की गई किंतु वर्किंग जमाबंदी के वर्किंग खसरा नम्बर 584 रकबा 12–14–00 को रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण के अतिरिक्त मोडू पुत्र तेजा व भूरा पुत्र तेजा का नाम भी अंकित है। हाल राजस्व जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। वादी व प्रतिवादी के मध्य बंटवारे को लेकर विवाद है। जिसका मूल निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों व साक्ष्य के उपरांत गुणावगुण के निस्तारण पश्चात ही होना है। यदि इस स्थिति में वर्तमान अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक ही वाद बहुलता बढने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण को सिद्ध करने का भार अपीलांट पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है व उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात आवंटन से प्राप्त हुई है। जबकि अपीलांट/अप्रार्थीगण के कथनानुसार रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को आवंटन कभी नहीं हुआ है। परंतु रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर आवंटन से संबंधित प्रति उपलब्ध है। लेकिन उक्त आराजीयात में किस का हक अधिकार बनता है यह तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण मूल वाद के गुणावगुण के पश्चात ही होगा। परंतु जब तब निस्तारण नहीं होता तब तक उक्त आराजीयात का संरक्षण भी किया जाना न्यायोचित है। चूंकि यह न्यायालय का दायित्व है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रेकार्डेड खातेदार को विपरीत परिस्थितियों के अतिरिक्त पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है परंतु उक्त प्रकरण में वाद बहुलता की प्रबल संभावना को देखते हुए। अपीलांट को पाबंद किया जाना न्यायसंगत है। अतः सुविधा का संतुलन बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट सिद्ध होता है।

अपूर्णीय क्षति :– अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं चाही गई है तो यह भार अपीलांट पर है कि वह उक्त अनुतोष नहीं मिलने पर किस प्रकार से प्रभावित होगा। यदि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट को उक्त आराजीयात बाबत पाबंद नहीं किया जाता है तो उक्त आराजीयात को अन्यत्र हस्तांतरण किए जाने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है व प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगी बढेगी। इस स्थिति में वर्तमान रेस्पोडेंट को अपीलांट की बजाय अधिक आर्थिक हानि होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में सिद्ध होते है।

यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए (1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

13. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2022 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

06/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner